[2021] 9 एस.सी.आर. 740

एमटेक ऑटो लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति
कॉर्पोरेशन बैंक के माध्यम से
बनाम
दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यम और अन्य
(सिविल अपील संख्या 6707 2019)
01 दिसम्बर 2021
**[एम आर. शाह और संजीव खन्ना, जे.जे.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 12 - दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत - प्रतिवादी संख्या 2-सफल समाधान आवेदक ने अपने दायित्व में चूक की - इसलिए निर्णायक प्राधिकारी ने समाधान आवेदक (प्रतिवादी संख्या) द्वारा दी गई समाधान योजना पर पुनर्विचार के लिए कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की समिति (सीओसी) के पुनर्गठन का निर्देश दिया .3) - प्रतिवादी संख्या 3 को अयोग्य आवेदक घोषित किया गया - अपीलीय प्राधिकारी ने कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश दिया - सीओसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील - परिसमापन कार्यवाही पर रोक लगा दी गई - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, नई समाधान प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या 3 को शामिल किया गया सफल समाधान आवेदक के रूप में अनुमोदित - हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 3 ने समाधान योजना को वापस लेने की कोशिश की - प्रतिवादी संख्या 3 के समाधान योजना से हटने के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और प्रतिवादी संख्या 3 की समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया - चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 ने समाधान योजना पर कार्रवाई नहीं की - सीओसी ने अवमानना याचिका दायर की और प्रतिवादी नंबर 3 ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के लिए आवेदन दायर किया, जिसके तहत अदालत ने समाधान योजना से हटने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 के आवेदन को खारिज कर दिया था - सीओसी के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 3 के आवेदन खारिज कर दिए गए - आयोजित: एस के अनुसार। 12 संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को उसमें निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना था - कई कार्यवाहियों को देखते हुए समय सीमा को माफ कर दिया गया है - आगे की देरी से बचने के लिए, संबंधित पक्षों को अनुमोदित समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

**कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए**

**माना गया: संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और कोई भी विचलन ऐसी**

**समय सीमा प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। हालाँकि, पहले के आदेश द्वारा, पक्षों के बीच लंबित विभिन्न मुकदमों और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समय सीमा को माफ कर दिया गया है। इसलिए, सफल समाधान आवेदक (प्रतिवादी संख्या 3) डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर (डीवीआई) द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन में कोई और देरी, जिसे जुलाई, 2020 के महीने में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यहां तक कि इसके खिलाफ अपील को बाद में खारिज कर दिया गया है, किसी भी और देरी से दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा, जैसा कि आईबीसी की धारा 12 के तहत अनिवार्य है। इसलिए, अनुमोदित समाधान योजना के संबंधित पक्षों और/या आईएमसी सहित अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन से जुड़े पक्षों को अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आगे निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर तथा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार भी रु. डीवीआई-सफल समाधान आवेदक (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा अब जमा किए गए 500 करोड़ रुपये को अनुमोदित समाधान योजना और/या पारस्परिक सहमति के अनुसार संबंधित ऋणदाताओं/वित्तीय लेनदारों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। [पैरा 10]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6707 2019 का

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 219 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 16.08.2019 से

तुषार मेहता, एसजी, अनूप रावत, सिद्धांत कांत, एस.एस. श्रॉफ, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्ञानेंद्र कुमार, सुश्री शिखा टंडन, मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास, मयंक पांडे, ई. सी. अग्रवाल, संजय भट्ट, सुश्री निहारिका शर्मा, अनिरुद्ध दवसज, राबिन मजूमदार, सुश्री आकांशा श्रीवास्तव, अरविंद कुमार गुप्ता, सुश्री शिवानी शर्मा, रवीन्द्र सदानंद चिंगले, पी.एस.सुधीर, सुश्री सोनम गुप्ता, मैसर्स कॉरपोरेट लीगल पार्टनर्स, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए |

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**एम. आर. शाह, जे**

1. कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 219 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'अपीलीय प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित

निर्णय और आदेश दिनांक 16.08.2019 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 2019 में, कॉर्पोरेशन बैंक (इसके बाद 'सीओसी' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से एमटेक ऑटो लिमिटेड के लेनदारों की समिति ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपील का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा है।

3. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आईबीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत किए गए एक आवेदन के अनुसार, 24.07.2017 को एमटेक ऑटो लिमिटेड - कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था। समाधान पेशेवर द्वारा संभावित समाधान आवेदकों को 31.08.2017 तक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। यहां प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाएं - डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर एलपी (इसके बाद 'डीवीआई' के रूप में संदर्भित) और यहां प्रतिवादी नंबर 2 - मेसर्स लिबर्टी हाउस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "लिबर्टी" के रूप में जाना जाता है) सीओसी द्वारा विचार किया गया। हालाँकि, डीवीआई ने अपनी संकल्प योजना वापस ले ली और इसलिए लिबर्टी की संशोधित योजना पर 2.4.2018 को सीओसी द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। इसके बाद, लिबर्टी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (इसके बाद "एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 25.07.2018 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया। हालाँकि, सफल समाधान आवेदक - लिबर्टी ने अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कार्य नहीं किया। इसके बाद, सफल समाधान आवेदक - लिबर्टी के खिलाफ कई कार्यवाही शुरू की गईं।

3.1 आईबीसी की धारा 74(3) के साथ पठित धारा 60(5) के तहत एक आवेदन सीओसी/वित्तीय लेनदारों द्वारा निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सफल समाधान आवेदक - लिबर्टी अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कार्य करने में विफल रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए सीओसी और समाधान पेशेवर को बहाल करने की प्रार्थना की गई कि कॉर्पोरेट देनदार एक चालू संस्था बनी रहे। लिबर्टी द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन के लिए मजबूर करने के बजाय नई प्रक्रिया के लिए एक और प्रयास करने के लिए समाधान पेशेवर को 90 दिन का समय देने की प्रार्थना की गई थी।

3.2 निर्णायक प्राधिकरण ने माना कि लिबर्टी ने अनुमोदित समाधान योजना के तहत अपने दायित्व में चूक की है और सीओसी और समाधान पेशेवर को जानबूझकर चूक के निर्धारण के लिए आईबीसी के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है।

निर्णायक प्राधिकरण ने योजनाओं को दोबारा आमंत्रित करके नई प्रक्रिया चलाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर फिर से विचार करने के लिए सीओसी के पुनर्गठन का निर्देश दिया। निर्णायक प्राधिकारी ने तदनुसार उक्त आवेदन/अपील का निपटारा कर दिया।

3.3 निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2019 को पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सीओसी ने अपीलीय प्राधिकारी - एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की। इसके बाद, समाधान पेशेवर ने संभावित समाधान आवेदकों से नए आवेदन आमंत्रित किए और उन्हें अपनी समाधान योजनाएं जमा करने के लिए कहा। दो अन्य समाधान आवेदकों के अलावा, 31.05.2019 को डीवीआई से भी ब्याज प्राप्त हुआ था। हालाँकि, इसे अस्वीकार कर दिया गया और डीवीआई को एक अयोग्य समाधान आवेदक घोषित कर दिया गया। उक्त अस्वीकृति के खिलाफ, डीवीआई ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.06.2019 के आदेश के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी ने माना कि दिनांक 20.05.2019 के पहले के आदेश के आलोक में सीओसी को लंबित अपील के अधीन सभी समाधान योजनाओं पर विचार करना आवश्यक था। डीवीआई ने संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की। हालाँकि बाद में, अपीलीय प्राधिकारी ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा सीओसी द्वारा दायर अपील का निपटारा कर दिया और समय के बहिष्कार की प्रार्थना को खारिज कर दिया। नतीजतन, वस्तुतः कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश दिया गया।

4. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय और दिनांक 16.08.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सीओसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है कि (ए) कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय रूप से व्यवहार्य इकाई है और इसमें पर्याप्त रुचि है कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए बाज़ार; (बी) संकटग्रस्त कंपनी के वित्तीय मामलों का समाधान संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है और समाधान आवेदक की ओर से विफलता/दुर्बलता के कारण समाधान की जाने वाली प्राथमिक समस्या कमजोर नहीं होनी चाहिए; (सी) कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना संहिता में निहित है और यहां तक कि इसकी प्रस्तावना का हिस्सा भी है और इसलिए, लेनदारों की समिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए समाधान का प्रयास करने का अवसर दिया जाना चाहिए। बाज़ार में उपयुक्त समाधान आवेदकों की उपलब्धता देखें; और (डी) लिबर्टी ने, स्वीकृत समाधान योजना को लागू करने में अपनी जानबूझकर विफलता के द्वारा, निर्णायक प्राधिकरण, लेनदारों की समिति और कॉर्पोरेट देनदार के सभी हितधारकों को धोखा दिया है, इसलिए, लिबर्टी के साथ सीआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवधि बढ़ा दी गई है।

संहिता को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक समाधान आवेदक को बाहर रखा जाना चाहिए

5. आदेश दिनांक 6.9.2019 द्वारा, वर्तमान अपील में नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने परिसमापन कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

5.1 जब 24.09.2019 को अपील को आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तो सीओसी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि समाधान पेशेवर को 21 दिनों की अवधि के भीतर नए प्रस्ताव आमंत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस न्यायालय ने समाधान पेशेवर को 21 दिनों की अवधि के भीतर नए प्रस्ताव आमंत्रित करने की अनुमति दी। इस न्यायालय ने आगे एक आदेश पारित किया कि उसके बाद दो सप्ताह के भीतर, सीओसी इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी और सीओसी के निर्णय और प्राप्त प्रस्तावों को इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। डीवीआई ने नई समाधान योजना भी प्रस्तुत की जिसे सीओसी ने 70% बहुमत के साथ मंजूरी दे दी। दिनांक 8.6.2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद, इस पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उचित निर्देश/आदेश देने के लिए सीओसी द्वारा दायर आईए नंबर 48906/2020 के मामले को वापस ले लिया। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि निर्णय प्राधिकारी के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष बिताए गए समय को लंबी रोक तिथि की गणना के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। डीवीआई ने समाधान योजना से हटने की कोशिश की. इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2020 के आदेश द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि डीवीआई इस तरह के अभ्यास में शामिल होता है, तो इसे इस न्यायालय द्वारा उसके आदेश पर पारित किए गए विभिन्न आदेशों के मद्देनजर इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

5.2 डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को जुलाई, 2020 के महीने में निर्णायक प्राधिकारी - एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि डीवीआई द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित समाधान योजना पर डीवीआई द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए सीओसी ने अवमानना याचिका संख्या दायर की। .524/2020 इस न्यायालय के समक्ष। डीवीआई ने 18.06.2020 के पहले के आदेश में सुधार के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने प्रस्ताव वापस लेने की डीवीआई की प्रार्थना को खारिज कर दिया था और कहा था कि यदि डीवीआई इस तरह के अभ्यास में शामिल होता है, तो इसे अवमानना माना जाएगा। इस न्यायालय के. सीओसी द्वारा दायर अवमानना याचिका और डीवीआई द्वारा दायर सुधार के आवेदन दोनों पर एक साथ सुनवाई की गई। दिनांक 23.02.2021 के एक

विस्तृत आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने डीवीआई द्वारा स्थापित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2020 के सुधार के लिए डीवीआई द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

5.3 उक्त आवेदन को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि सुधार के लिए डीवीआई का आवेदन उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना से पीछे हटने और अपने दायित्वों से पीछे हटने का एक प्रयास है। आगे यह भी कहा गया कि यह एक कुटिल प्रयास है जिसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस कोर्ट ने अवमानना याचिका भी खारिज कर दी. हालाँकि, अवमानना याचिका को खारिज करते समय, पैरा 38 में यह निम्नानुसार देखा गया है:

> "38 जिस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अवमानना क्षेत्राधिकार का सहारा वैध है और क्या इस मामले के तथ्यों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। निस्संदेह, जैसा कि हमने पहले देखा है, डीवीआई का आचरण प्रामाणिक नहीं रहा है। इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समय का विस्तार एक समाधान आवेदक के रूप में डीवीआई के लाभ को सुनिश्चित करता है जिसके प्रस्ताव पर न्यायालय के निर्देशों के तत्वावधान में विचार किया गया था। डीवीआई ने अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास किया और उसके आवेदन को पढ़ने के कारण 18 जून 2020 को इस न्यायालय के आदेश को पारित किया गया, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा कि डीवीआई न केवल समय विस्तार की मांग कर रहा था बल्कि फिर से बातचीत की मांग कर रहा था। सीओसी द्वारा अनुमोदन के बाद इसकी समाधान योजना। फिर, 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद डीवीआई के प्रयास को खारिज करने के बावजूद, यह एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के भीतर और बाहर वही दलीलें उठाना जारी रखा। डीवीआई के आचरण में प्रामाणिकता का अभाव है। हालाँकि मुद्दा यह है कि क्या अस्थिर याचिका उठाने और समाधान योजना के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के आचरण को इस न्यायालय के 18 जून 2020 के आदेश की अवमानना माना जा सकता है। डीवीआई को निस्संदेह नोटिस पर रखा गया था आदेश में कहा गया है कि इसे ऐसी शर्तों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को आमंत्रित करेगा। ऐसा कहने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के 18 जून 2020 के आदेश ने डीवीआई द्वारा स्थानांतरित आईए को खारिज कर दिया और एक आवश्यक परिणाम के रूप में, जिस आधार पर आईए में राहत मांगी गई थी। इसलिए सही है, अब डीवीआई की ओर से यह कहा गया है कि वह 18 जून 2020 को अपने आईए की बर्खास्तगी के मद्देनजर अप्रत्याशित घटना की याचिका दायर नहीं करेगा। हालांकि

डीवीआई के आचरण में प्रामाणिकता की कमी थी, हमें अवश्य ही अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू करने के बारे में सतर्क रहें क्योंकि एक अस्थिर याचिका दायर करने से अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, समाधान योजना की शर्तों को पूरा करने में डीवीआई की चूक कानून में उल्लिखित परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि इस न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अवमानना याचिका के जवाब में दायर हलफनामे पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि डीवीआई को यह आग्रह करने का अधिकार होगा कि क्या शर्तें लागू करने से पहले हैं। समाधान योजना पूरी हो चुकी है. चूंकि डीवीआई एनसीएलएटी के समक्ष अपील में है, इसलिए हम प्रस्तुतिकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। एनसीएलएटी पक्षों को सुनने के बाद डीवीआई की दलील की वैधता और योग्यता पर विचार करेगा कि समाधान योजना के तहत पूर्ववर्ती शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वर्तमान कार्यवाही में डीवीआई द्वारा दायर सुधार के आवेदन या सीओसी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर अदालत के समक्ष उठता है।

5.4 सुधार के लिए आवेदन को खारिज करते हुए और अवमानना कार्यवाही का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने अंततः निष्कर्ष निकाला और निम्नानुसार निर्देशित किया:

"39 उपरोक्त कारणों से, हमारे निष्कर्ष और निर्देश हैं वह:

(i) डीवीआई द्वारा प्रस्तुत सुधार हेतु आवेदन में कोई योग्यता नहीं है। 2020 की सिविल अपील संख्या 6707 में 2020 की आईए संख्या 58156 खारिज कर दी जाएगी;

(ii) अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाना न्याय हित में समीचीन नहीं है। 2019 की सिविल अपील संख्या 6707 में 2020 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 524 तदनुसार खारिज कर दी जाएगी, नीचे (iii) के अधीन

(iii) डीवीआई द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तुति के संदर्भ में और अन्यथा भी, 18 जून 2020 को इसके आईए की बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप, यह 30 कार्यवाही में अप्रत्याशित घटना के लिए याचिका दायर नहीं करेगा। जो समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील में एनसीएलएटी के समक्ष लंबित हैं; और

(iv) एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ डीवीआई द्वारा दायर अपील को एनसीएलएटी द्वारा वर्तमान निर्णय की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से सुना और निपटाया जाएगा।

इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ डीवीआई द्वारा दायर अपील को कथित निर्णय की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सुना और निपटाया जाएगा।

5.5 इसके बाद, एक विस्तृत निर्णय और आदेश दिनांक 16.04.2021 द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने डीवीआई द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया, जो कि डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9.7.2020 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इस प्रकार, इसके बाद, सफल समाधान आवेदक - डीवीआई द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को डीवीआई द्वारा कार्यान्वित और कार्यान्वित किया जाना था। हालाँकि बाद में जब वर्तमान अपील को आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तो यह बताया गया कि डीवीआई - सफल समाधान आवेदक अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। हालाँकि, यह बताया गया कि सफल समाधान योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसलिए, इस न्यायालय ने पक्षों को डीवीआई द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

6. डीवीआई द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट - सफल समाधान आवेदक को 23.11.2021 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जब इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, डीवीआई/सफल समाधान आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री शिखा टंडन और समाधान पेशेवर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय भट्ट को सुना है। यह विवाद में नहीं है कि डीवीआई द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को जुलाई, 2020 में एनसीएलएटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इससे पहले, संकल्प योजना से पीछे हटने का प्रयास किया गया था जिसे इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से स्वीकार नहीं किया है। आदेश. इसके बाद, मामले को बार-बार स्थगित किया गया ताकि डीवीआई समाधान योजना के अनुसार कार्य कर सके। आज, प्रतिवादी संख्या 3 - डीवीआई की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है। अनुच्छेद 2 में, इसे इस प्रकार कहा गया है -

“प्रारंभ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि डीवीआई डीवीआई की संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए, डीवीआई और/या उसके सहयोगी ("डीवीआई संबद्ध") ने पहले ही कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये की राशि, यानी, डीवीआई की संकल्प योजना के तहत अग्रिम निवेश राशि ("अपफ्रंट कैश अमाउंट") भारतीय शाखा को भेज दी है। डीवीआई की समाधान योजना के तहत ऋण के निपटान के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (डीवीआई संबद्ध का संरक्षक बैंक)। डीवीआई वर्तमान में एमटेक के नामित खातों के विवरण की प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें ऐसी अग्रिम नकद राशियां समापन तिथि पर प्रेषित की जानी हैं, जैसा कि डीवीआई के संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए आईएमसी के सदस्यों के बीच सहमति हो सकती है। आगे कहा गया है कि डीवीआई इस पैसे को डीवीआई की समाधान योजना की शर्तों के अनुसार वितरित करने का वचन देता है, जब भी ऐसी समापन तिथि प्राप्त होती है।

समाधान योजना के तहत, निम्नलिखित कदम उठाए जाने हैं-

"ए) एमटेक की इक्विटी शेयर पूंजी को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट करना - पूरा हुआ।

बी) एमटेक की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और आवश्यक फाइलिंग को पूरा करना - पूरा हो गया।

सी) डीवीआई और/या इसके सहयोगी को 5,00,000 रुपये ("नाममात्र निवेश") की नाममात्र राशि निवेश करके एमटेक के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेना - जारी है।

घ) ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए अस्थिर के रूप में पहचाना गया है और लेनदारों को जारी और आवंटित करने के लिए इक्विटी ("अस्थिर इक्विटी आवंटन") - जारी है।

ई) एमटेक की प्री-सीआईआरपी शेयरधारिता और अनसस्टेनेबल इक्विटी आवंटन के माध्यम से रखी गई इक्विटी में कमी - यह कार्रवाई लंबित है और केवल नाममात्र निवेश और अनसस्टेनेबल इक्विटी आवंटन पर ही की जा सकती है।

एफ) डीवीआई और/या उसके सहयोगियों को 90% इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना और आवंटन - जारी।

छ) वित्तीय ऋणदाताओं को 10% इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना और आवंटन - जारी।

ज) डीवीआई सहयोगी को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना और आवंटन - चल रहे डीवीआई ने अपने ईमेल दिनांक 18.11.2021 के माध्यम से आईएमसी सदस्यों को सूचित किया था कि:

(ए) समाधान योजना के तहत ऋण के निपटान के लिए डीवीआई संबद्ध द्वारा वर्तमान में अग्रिम नकद राशि डीवीआई संबद्ध के संरक्षक बैंक की भारतीय शाखा को भेज दी गई है और

(बी) जिन नामित खातों में ऐसी राशि जमा की जानी है, उनका विवरण डीवीआई को प्रदान नहीं किया गया है।

डीवीआई द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में से एक है 500 करोड़ रुपये की "अपफ्रंट कैश अमाउंट" जमा करना। डीवीआई द्वारा संबोधित दिनांक 18.11.2021 के संचार के अनुसार 500 करोड़ रुपये की राशि भारत में उनके संरक्षक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जमा खाते में पड़ी है और पैसा उधारदाताओं को संवितरण के लिए तैयार है। डीवीआई की ओर से दलील यह है कि जब तक समाधान योजना के अनुसार अन्य कदम नहीं उठाए जाते, तब तक 500 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि एमटेक ऑटो लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त बात उनके स्वयं के दिनांक 18.11.2021 के संचार के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए, जब डीवीआई के अनुसार भी 500 करोड़ रुपये की राशि उनके संरक्षक के पास भारत में एक जमा खाते में पड़ी है और यहां तक कि उक्त संचार के अनुसार पैसा उधारदाताओं को संवितरण के लिए तैयार है, तो हम निर्देश देते हैं कि रुपये की उपरोक्त राशि 24.11.2021 तक एमटेक ऑटो लिमिटेड के बैंक खाते में .500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे, बैंक खाते का विवरण इस प्रकार है -

बैंक का नाम - भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या - 32985171467 आईएफएससी - एसबीआईएन0004109 लाभार्थी - एमटेक ऑटो लिमिटेड शाखा - 12वीं मंजिल, एसटीसी बिल्डिंग, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली

25.11.2021 को पोस्ट करें।

7. आज, जब वर्तमान अपील को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है, तो सीओसी की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया है कि रुपये की राशि। 500 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक ऑटो लिमिटेड के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। गौरतलब है कि स्थिति रिपोर्ट में भी डीवीआई ने कहा है कि डीवीआई अपनी अनुमोदित समाधान योजना के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है।

8. स्वीकृत समाधान योजना के तहत दोनों पक्षों को अपने दायित्वों को पूरा करना होगा. कॉर्पोरेट देनदार को अपने दायित्वों को भी साथ-साथ निभाना होगा ताकि 500 करोड़ रुपये की राशि कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों/उधारदाताओं को हस्तांतरित की जा सके। संबंधित पक्षों की ओर से यह मामला है कि उपरोक्त दायित्वों को पारस्परिक रूप से और एक साथ पूरा किया जाना है। बताया गया है कि समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यान्वयन और निगरानी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें समाधान पेशेवर, कॉर्पोरेट देनदार के तीन पहचाने गए ऋणदाता और डीवीआई के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं।

9. अनुमोदित समाधान योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और यह आईबीसी के तहत अनिवार्य है। आईबीसी की धारा 12 के अनुसार, उप-धारा (2) के अधीन, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार करने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसे एक समय तक बढ़ाया जा सकता है। 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि. आईबीसी की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार, जिसे 2019 के अधिनियम 26 द्वारा डाला गया है, दिवाला समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसमें कॉर्पोरेट दिवाला समाधान की अवधि का कोई भी विस्तार शामिल है। आईबीसी की धारा 12 के तहत दी गई प्रक्रिया और कॉर्पोरेट देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लगने वाला समय। IBC की धारा 12 के तीसरे प्रावधान के अनुसार, जिसे 2019 के अधिनियम 26 द्वारा भी शामिल किया गया है, जहां एक कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और यहां ऊपर बताई गई अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई है, यानी एक अवधि के भीतर। 330 दिन, ऐसी समाधान प्रक्रिया आईबीसी संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख, यानी 16.08.2019 से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

10. इस प्रकार, संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को आईबीसी की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और कोई भी विचलन ऐसी समय सीमा

प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। हालाँकि, पहले के आदेश द्वारा, पक्षों के बीच लंबित विभिन्न मुकदमों और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समय सीमा को माफ कर दिया गया है। इसलिए, डीवीआई द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की देरी, जिसे जुलाई, 2020 के महीने में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यहां तक कि इसके खिलाफ अपील भी बाद में खारिज कर दी गई है, किसी भी तरह की देरी से निर्णय विफल हो जाएगा। आईबीसी की धारा 12 के तहत अनिवार्य दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करना बहुत ही उद्देश्य और उद्देश्य है। इसलिए, हम अनुमोदित समाधान योजना से संबंधित और/या आईएमसी सहित अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, बिना किसी असफलता के, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने का निर्देश देते हैं। यह आगे निर्देशित है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर और यहां तक कि अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार भी, रुपये की राशि। डीवीआई-सफल समाधान आवेदक द्वारा अब जमा किए गए 500 करोड़ रुपये को अनुमोदित समाधान योजना और/या पारस्परिक सहमति के अनुसार संबंधित ऋणदाताओं/वित्तीय लेनदारों को हस्तांतरित किया जाएगा। यहां ऊपर निर्धारित समय के साथ अनुमोदित समाधान योजना को लागू करने में किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।

11. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान अपील निस्तारित

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।